



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 28.07.2025

थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 20 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन डिजायर कार व मोटर साइकिल के साथ 04 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक: 27.07.2025 को थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के सूचना के आधार पर थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहनपुर भवरख हाइवे से सटे मकान से 04 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. दीपक कुमार पाण्डेय पुत्र राम प्रसाद पाण्डेय निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, 2. ओम प्रकाश मौर्या उर्फ गुंडा मौर्या पुत्र घनश्याम मौर्या निवासी ग्राम कांगापुर थाना हड़िया जनपद प्रयागराज, 3. राजेश कुमार मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या निवासी रानीबारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर व 4. संदीप तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी (मकान मालिक) निवासी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त मकान की तलाशी में छिपाकर रखा हुआ कुल 74.500 किलोग्राम अवैध गांजा तथा गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन डिजायर कार UP 14 DM 1300 व मोटर साइकिल UP 63 AZ 3746 बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-135/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त डिजायर कार व मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो द्वारा उड़ीसा से डिजायर कार में छिपाकर गांजा लाते हैं तथा संदीप तिवारी के मकान में छोटे-छोटे पैकट बनाकर मांग के अनुसार सप्लाई करते हैं। इससे हम ज्यादा धन अर्जित कर पाते हैं, प्राप्त धन को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. दीपक कुमार पाण्डेय पुत्र राम प्रसाद पाण्डेय निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. ओम प्रकाश मौर्या उर्फ गुंडा मौर्या पुत्र घनश्याम मौर्या निवासी ग्राम कांगापुर थाना हड़िया जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 32 वर्ष ।
3. राजेश कुमार मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या निवासी रानीबारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर , उम्र करीब 37 वर्ष ।
4. संदीप तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी (मकान मालिक) निवासी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी विवरण —

74.500 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 20 लाख)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त डिजायर कार वाहन संख्या: UP 14 DM 1300 (अनुमानित कीमत ₹ 10 लाख)

मोटर साइकिल वाहन संख्या- UP 63 AZ 3746 (अनुमानित कीमत ₹ 01 लाख)

10600 रूपये नगद व 01 अदद चैन (पीली धातू)

05 अदद एन्ड्रोइड फोन, 02 की-पैड मोबाइल, पासबुक, एटीएम, चेकबुक ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-135/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।

आपराधिक इतिहास —(ओम प्रकाश मौर्या)-

मु0अ0स0-112/2021 धारा 308,323,504,506 भादवि थाना हड़िया जनपद प्रयागराज ।

मु0अ0स0-31/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना औराई जनपद भदोही ।

मु0अ0स0-288/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट थाना औराई जनपद भदोही ।

आपराधिक इतिहास —(राजेश कुमार मौर्या)-

मु0अ0स0-114/2020 धारा 279,304ए, 337, 338 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0स0-130/2023 धारा 279,304ए भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0स0-310/2023 धारा 427,504,506 भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहनपुर भवरख हाइवे से सटे मकान से, दिनांक: 27.07.2025 को समय रात्रि 23.43 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम ।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह मय टीम प्रभारी सर्विलांस ।


